



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35818

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2383 वर्ष 2026

सब्लू राम पी.एन.ओ.सं. 802191063 एवं 57 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 11 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: कुंदन मिश्रा, राजेश कुमार दुबे

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार दुबे तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्तागण का कथन है कि उन्होंने आरक्षी पद पर नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण अवधि के दौरान जो सेवा कार्य किया है, उसे उनकी सेवा अवधि में जोड़ा जाए। याचिकाकर्तागण का यह भी कथन है कि उन्होंने 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है तथा दिनांक 02.12.2000 के सरकारी आदेश के अनुसार वे एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लाभ के अधिकारी हैं।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्तागण की प्रार्थना है कि प्रतिवादी प्राधिकारियों को यह निर्देशित किया जाए कि आरक्षी पद पर नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में व्यतीत सेवा को 19 वर्षों की सेवा गणना में सम्मिलित करते हुए सरकारी आदेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा विपरीत पक्ष में यह तथ्य विवादित नहीं किया गया कि दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय, सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330 वर्ष 2012 (घनश्याम तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) तथा इसी प्रकार की रिट

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



याचिका संख्या 6429 वर्ष 2018 (दिनेश कुमार शुक्ला एवं 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 के अनुरूप है। दिनांक 22.02.2018 के आदेश को इस न्यायालय की अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत अंतर्वर्ती अपील में चुनौती दी गई थी, जिसे निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.09.2016 द्वारा निस्तारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्तागण के दावे को दिनांक 07.09.2012 को सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330 वर्ष 2012 (घनश्याम तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय के अनुपालन में विधिसंगत एवं न्यायोचित माना गया था।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनते हुए तथा मामले के गुण-दोष में गए बिना, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक), स्थापना, पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर भवन, लखनऊ याचिकाकर्तागण के दावे पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर विधि अनुसार निर्णय करें।

दिनांक : 18 फरवरी 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”